भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1598
दिनांक 13.02.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल जल कनेक्शन

1598. एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवीः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या जल जीवन मिशन (जेजेएम) कार्यक्रम सभी ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन के साथ जलापूर्ति उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार का नन्दुरबार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जलापूर्ति अवसंरचना की संस्थापना के कारण गांवों की क्षतिग्रस्त और खोदी गई सड़कों की मरम्मत करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार 'हर घर जल, हर घर नल' के अंतर्गत कार्यों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त निधि जारी करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) जेजेएम के अंतर्गत कार्यों को शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) अगस्त 2019 से, भारत सरकार राज्यों की भागीदारी से देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील नल जल कनेक्शन के माध्यम से नियमित और दीर्घकालिक आधार पर निर्धारित गुणवत्ता (बीआईएस: 10500) के साथ 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (एलपीसीडी) के सेवा स्तर पर पीने योग्य पानी का प्रावधान करने के लिए जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल लागू कर रही है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, जेजेएम की शुरूआत के समय 3.23 करोड़ ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन थे। तब से, 12.22 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 10.02.2025 तक, देश के 19.37 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 15.45 करोड़ (79.79%) से अधिक ग्रामीण परिवारों के पास नल जल आपूर्ति का प्रावधान उपलब्ध है।

(ख) जल राज्य का विषय है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की सहायता करती है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत शुरू की गई ग्रामीण जल आपूर्ति स्कीमों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की होती है, जिसमें *अन्य बातों के साथ-साथ* ऐसी गलियों अथवा सड़कों की मरम्मत अथवा निर्माण करना भी शामिल है जो जल आपूर्ति पाइपलाइन बिछाते समय प्रभावित होती हैं और जल जीवन मिशन के अंतर्गत उपलब्ध निधियों का उपयोग इसके लिए किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, ग्रामीणों को होने वाली किसी कठिनाई से बचने के लिए राज्यों को सलाह दी गई है कि वे ग्रामीण जल योजनाओं को इस प्रकार से शुरू करें जिससे सड़कों/राजमार्गों जैसी अवसंरचना को कम से कम क्षति हो और जल आपूर्ति प्रणालियों के लिए पाइपलाइन बिछाते समय क्षति होने पर सड़कों/राजमार्गों को तत्काल ठीक किया जाए। मिशन के कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों के माध्यम से राज्यों को यह भी सलाह दी गई है कि वे मिशन के कार्यान्वयन में विलंब से बचने के लिए एजेंसियों को हतोत्साहित करने हेतु संविदा दस्तावेजों में अपेक्षित दंड खंड शामिल करें। यह विभाग पानी की पाइपलाइन बिछाते समय क्षतिग्रस्त हुई अवसंरचना का ब्यौरा नहीं रखता है।

(ग) केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन को पांच वर्षों के लिए अर्थात् 2019-20 से 2023-24 तक के लिए अनुमोदित किया था। इसके अतिरिक्त, जल जीवन मिशन को जारी रखने का मामला सक्षम प्राधिकारी के विचाराधीन है।

(घ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजना और कार्यान्वयन में तेजी लाने तथा निगरानी करने और उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं जिनमें *अन्य बातों के साथ-साथ* राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से वार्षिक कार्य योजना (एएपी) पर चर्चा करना और उसे अंतिम रूप देना, आयोजना और कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा, क्षमता निर्माण और ज्ञान के आदान-प्रदान के लिए कार्यशालाएं/सम्मेलन/वेबिनार, तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए बहु-विषयक दल द्वारा क्षेत्र दौरे आदि शामिल हैं। पारदर्शिता लाने और प्रभावी निगरानी के लिए, एक ऑनलाइन 'जेजेएम डैशबोर्ड' बनाया गया है, जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, जिला और गांव-वार प्रगति के साथ-साथ ग्रामीण घरों में नल जल आपूर्ति के प्रावधान की स्थिति प्रदान करता है।

*****